न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–111/2025
GCMS No.- 2025/127

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
राकेश गुर्जर पुत्र मांगीलाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी झाड़ेली, तहसील डेह जिला नागौर राजस्थान ।		जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री मन्नाराम चौधरी
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक ।

निर्णय **दिनांक :–07.11.2025**

1– अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी,नागौर द्वारा लाईसेंस संख्या 1506 जारी दिनांक 29.09.2022 को आदेश दिनांक 10.06.2025 से निरस्त किया हैं, के विरूद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया तथा रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

2– वकील अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।

(1)–विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में दुकान बन्द रहने का आरोप लगाते हुए मेरा प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हैं,जबकि मेरे द्वारा उचित मूल्य की दुकान हर महिने के प्रत्येक दिन खुली रखी जाकर सामग्री वितरण की जा रही हैं। मैं बीमार होने के कारण दुकान को 1 घण्टे के लिए बन्द कर डॉक्टर की सलाह लेने गया था,उसी समय जिला रसद कार्यालय की टीम निरीक्षण के लिए आयी थी और मेरे को आवंटित दुकान बन्द होने का आरोप लगाते हुए जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी महोदय को पेश की तथा जिला रसद अधिकारी महोदय ने इस जांच रिपोर्ट के आधार पर मेरा प्राधिकार पत्र निरस्त किया हैं। मेरे द्वारा सुनवाई के समय अधीनस्थ न्यायालय में डॉक्टर की परामर्श पर्ची पेश किये जाने के बावजूद उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाकर यह कार्यवाही की गई हैं,जो विधि विरूद्ध हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि मेरे विरूद्ध यह भी आरोप लगाये गये हैं कि बोर्ड पर स्टॉक मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं किया गया हैं। इस आरोप के सम्बन्ध में हमारा निवेदन हैं कि दिनांक 21.04.2025 व दिनांक 22.04.2025 को मध्य रात्रि को भंयकर आंधी तूफान आने से मेरे द्वारा लगाया गया बोर्ड हवा में उड़कर अन्य स्थान पर चला गया था,जिसे दुबारा तैयार करवाया जाकर उसी दिन पुनः बोर्ड दुकान के बाहर लगवा दिया था,जिसमें हेल्पलाईन नम्बर अंकित किये हुए हैं। यह भी आरोप लगाये गये हैं कि पोश मशीन में पेपर रोल नहीं था,जबकि पोश मशीन चालू हालात में थी तथा उसमें पेपर रोल लगाया हुआ था।

कलक्टर नागौर

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि मेरे विरूद्ध यह भी आरोप लगाये गये हैं कि वक्त निरीक्षण स्टॉक कम पाया गया हैं,जबकि वास्तविक स्थिति यह हैं कि मेरी दुकान में रखे गये गेहूँ का कोई तोल जोक नहीं करवाया गया था गेहूं की मात्रा कट्टे गिनती के आधार पर की जाकर स्टॉक कम रहने के आरोप लगाये गये हैं,जो सही नहीं हैं। मेरे द्वारा स्टॉक हस्तान्तरण किया गया जिसमें गेहूँ स्टॉक सही होकर हस्तान्तरण किया गया हैं,फर्द रिपोर्ट की प्रति मैनें पत्रावली में पेश की हैं। इसलिए निवेदन हैं कि मेरे विरूद्ध यह एकतरफा कार्यवाही की जाकर मेरा प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जो आदेश निरस्त किया जावें तथा मेरे प्राधिकार पत्र पुनः बाहल किया जावें।

विद्वान वकील अपीलांट ने दिनांक 28.10.2025 को लिखित बहस पेश कर मौखिक बहस में बताये गये तथ्यों को पुनः दर्ज करते हुए यह निवेदन किया हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को पूर्ण साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया था तथा गवाही की जिरह भी नहीं करवायी गई। अगर इस प्रकार की प्रकिया अपनायी जाती एवं गवाही से जिरह होती तो वास्तविक स्थिति अपने–आप न्यायालय के सामने आ जाती। इस प्रकार श्रीमान् जिला रसद अधिकारी का आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जावें तथा मेरा प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया जावें। लिखित बहस में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में पारित निर्णयों की नजीरों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का निवेदन किया हैं।

(2)– रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित प्रवर्तन निरीक्षक श्री शिवराम का बहस में कथन हैं कि दिनांक 17.04.2025 को श्री रमेश,श्री रामकरण वगैराह ग्रामवासी ग्राम झाड़ेली ने लिखित में इस आशय की शिकायत पेश की कि अप्रार्थी डीलर श्री राकेश द्वारा समय पर राशन सामग्री का वितरण नहीं किया जा रहा हैं,दूकान पूरे महिनें नहीं खोली जा रही हैं तथा उनके द्वारा 2–3 चक्कर लगवाने के बाद ही राशन सामग्री दी जाती हैं। उक्त आशय की शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालय के आदेश कमांक/रसद/जांच/2025/ 941 दिनांक 17.04.2025 से श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री रामनिवास बेरवाल प्रवर्तन निरीक्षक का जांच दल गठित किया जाकर जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त आदेश की पालना में संयुक्त जांच दल द्वारा मौके पर जाकर प्राप्त शिकायत की जांच दिनांक 22.04.2025 को की जाकर निरीक्षण प्रपत्र,फर्द मौका जांच,एफपीएस कोड–9185 के उपलब्ध स्टाक की पर्ची,उचित मूल्य दुकान की फोटो सहित प्रस्तुत की। उक्त जांच रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार अप्रार्थी के विरूद्ध निम्न अनियमितताऐं पायी गई :–

1–वक्त जांच मौके पर उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई। दूरभाष पर सम्पर्क करने पर डीलर ने अंकित पुत्र श्री जगदीश को पोस मशीन देकर भेजा।

2–वक्त जांच उचित मूल्य दुकान के बाहर स्टॉक एवं मूल्य सूची से प्रदर्शन का सूचना पट्ट नहीं पाया गया।

3–वक्त जांच उचित मूल्य दुकान पर अद्यतन एवं प्रमाणित स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

4–वक्त जांच उचित मूल्य दुकान के बाहर जिला रसद अधिकारी,जिला कलक्टर उपभोक्ता हेल्पलाईन नम्बरों व वन नेशन वन राशन कार्ड के हेल्पलाईन नम्बर का प्रदर्शन नहीं पाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

5–वक्त जॉच उचित मूल्य दुकान की पोस मशीन में पेपर रोल नहीं पाया।

6–वक्त जांच पोश मशीन में दर्ज स्टॉक 8335 किलोग्राम गेहूँ का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 158 सीलबंद बेग(50 किलोग्राम प्रति बेग) तथा 20 किलोग्राम लूज गेहूँ पाये गए जो कि वास्तविक स्टॉक से 415 किलोग्राम गेहूं कम पाये गये।

वक्त जांच उपरोक्त कमियां एवं विभागीय निर्देशों की पालना नहीं करने के सम्बन्ध में उचित मूल्य दुकानदार को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाकर उनका जबाब तलब किया गया तथा उनका प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। गैर सायल द्वारा उक्त नोटिस के जबाब में पेश किये जबाब में आरोपों का संतोषप्रद जबाब पेश नहीं करने पर आरोप संख्या 1 से 2 व 4 से 6 उनके विरूद्ध सही साबित होने से अप्रार्थी डीलर श्री राकेश गुर्जर को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने तथा जमाशुदा प्रतिभूति राशि 1000/–रूपये जब्त सरकार किये जाने का आदेश दिनांक 10.06.2025 को पारित किया गया हैं,जो विधिवत जारी किया गया हैं। इसलिए निवेदन हैं कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आरोपो का निर्णय इस प्रकार हैं :–

1– वक्त जांच मौके पर उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई। दूरभाष पर सम्पर्क करने पर डीलर में अंकित पुत्र श्री जगदीश को पोस मशीन देकर भेजाः–

इस विभागीय आरोप के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय निष्कर्ष में यह माना हैं कि गैर सायल ने जबाब में कथन किया कि दिनांक 22.04.2025 को दुकान खुली थी,लेकिन अचानक अप्रार्थी बीमार हो जाने से डॉक्टर को दिखाने के लिए चला गया तथा वापिस आकर तुरन्त दुकान खोल दी गई,जो मात्र एक घण्टे से अधिक दुकान बंद नहीं रही। इस संदर्भ में उनके द्वारा डॉक्टर की परामर्श पर्ची जबाब के साथ पेश की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में यह माना हैं कि अप्रार्थी को मौके पर जांच दल द्वारा मोबाईल पर सूचित करने पर उसने बाहर होना बताया,उसके द्वारा बीमार होने एवं अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए जाने का कोई कथन नहीं किया हैं। अप्रार्थी द्वारा जबाब के साथ जो डॉक्टर की परामर्श मेडिकल पर्ची की छाया प्रति प्रस्तुत की हैं उस पर अस्पताल का नाम, आउटडोर नम्बर आदि कोई अंकित नहीं हैं,इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त पर्ची स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं। इससे स्पष्ट होता हैं कि अप्रार्थी ने जानबूझ कर उस दिन दुकान नहीं खोली एवं मोबाईल नम्बर पर सूचित करने के बावजूद भी वह स्वयं दुकान पर उपस्थित नहीं हैं। अतः यह आक्षेप अप्रार्थी के विरूद्ध स्पष्ट साबित हैं।

पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट के जबाब के साथ पेश की गई डॉक्टर परामर्श पर्ची दिनांक 22.04.2025 की हैं तथा यह पर्ची राकेश के नाम से जारी हैं,इस पर्ची के अंतिम भाग पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि डेह अंकित हैं। अधीनस्थ न्यायालय का इस संदर्भ में यह मानना हैं कि इस पर्ची में अस्पताल का नाम व आउटडोर के नम्बर अंकित नहीं हैं। इस पर्ची में केवल अदालत व आउटडोर नम्बर के अंकन नहीं होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता की अप्रार्थी बीमार नहीं हुआ हो। अप्रार्थी अस्वस्थ होने की स्थिति में दवाईयां लेने व डॉक्टर को दिखाने के लिए तो जा ही सकता हैं। पत्रावली में शिकायत की जांच के समय शिकायत के समर्थन में ऐसा कोई बयान यथा शिकायतकर्ता या फिर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

राशन कार्ड धारक जो सामग्री प्राप्त करने के लिए जाते हैं के बयान कलमबंद नहीं किये गये हैं,जिससे यह साबित होता हो कि उचित मूल्य दुकान नियमित नहीं खुलती हो। इसी के साथ न ही ऐसी कोई निरीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध हैं जो यह प्रकट करती हो कि पूर्व में भी उनके द्वारा इस दुकान की जांच करवायी गई एवं जांच के समय दुकान बंद मिली हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इस आरोप को साबित करने से पूर्व पूर्ण साक्ष्य पत्रावली पर नहीं लिए हैं,केवल मात्र आकस्मिक निरीक्षण के समय डीलर अस्वस्थ होने की स्थिति में अनुपस्थित रहने से यह आरोप पूर्ण साबित नहीं किया जा सकता हैं। एक समय के लिए यह मान भी लिया जावें कि दुकान एक दिन बंद रही है तो भी अनुज्ञा–पत्र निरस्त करने जैसी कठोर कार्यवाही की जाकर दण्डित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

2–आरोप संख्या 02 :–वक्त जांच उचित मूल्य दुकान के बाहर स्टॉक एवं मूल्य सूची से प्रदर्शन का सूचना पट्ट नहीं पाया गयाः–

इस आरोप के संबंध में अपीलांट का कथन हैं कि आंधी–तुफान के कारण सूचना प्रदर्शन पट्ट तुफान में उड़ गया था तथा उनके द्वारा पुनः यह बोर्ड लगा लिया गया हैं,अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना हैं कि बोर्ड पुनः प्रदर्शित कर दिया हो,साक्ष्य स्वरूप कोई फोटो आदि प्रस्तुत नहीं किया हैं। इस संबंध में हमारा यह मत हैं कि अगर अधीनस्थ न्यायालय गैर सायल के जबाब से सन्तुष्ट नहीं था तो अप्रार्थी से उक्त आशय का फोटो ग्राफ्स लिये जा सकते थे या मांगे जस सकते थे परन्तु उनके द्वारा ऐसी कोई मांग किये जाने का पत्रावली की आदेशिका में इन्द्राज नहीं हैं।

3–आरोप संख्या 03 :–वक्त जांच उचित मूल्य दुकान पर अद्यतन एवं प्रमाणित स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया :–

आरोप संख्या 03 वैसे ही अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त किये हैं,इसलिए इस आरोप पर पुनः विवेचन की आवश्यकता नहीं हैं।

4–आरोप संख्या 04 :–वक्त जांच उचित मूल्य दुकान के बाहर जिला रसद अधिकारी,जिला कलक्टर,उपभोक्ता हेल्पलाईन नम्बरों व वन नेशन वन राशन कार्ड के हेल्पलाईन नम्बर का प्रदर्शन नहीं पाया गया :– इस आक्षेप के संबंध में पूर्व में आरोप संख्या 2 के निर्णय में पूर्ण विवेचन किया जा चुका हैं,इसलिए अब पुनः विवेचन की आवश्यकता नहीं हैं।

5–आरोप संख्या 05:–वक्त जॅच उचित मूल्य दुकान की पोस मशीन में पेपर रोल नहीं पायाः–आरोप संख्या 5 पोस मशीन में पेपर रोल नहीं पाये जाने से सम्बन्धित हैं। इस सम्बन्ध में जांच दल का कहना हैं कि वक्त जांच डीलर के प्रतिनिधि के सामने जांच किये जाने पर पोस मशीन में पेपर रोल नहीं था,जबकि डीलर का कथन हैं कि पेपर रोल डाला हुआ था। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना उचित हैं कि डीलर के प्रतिनिधि को मशीन प्रकिया की जानकारी नहीं हैं,फिर भी जांच दल रसद विभाग के अधिकारी होने से उनके कथनों को ही सही माना जाना उचित हैं।

6–आरोप संख्या 06 :–वक्त जांच पोस मशीन में दर्ज स्टॉक 8335 किलोग्राम गेहूँ का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 158 सीलबंद बेग(50 किलोग्राम प्रति बेग) तथा 20 किलोग्राम लूज गेहूँ पाये गए जो कि वास्तविक स्टॉक से 415 किलोग्राम गेहूं कम पाये गयेः–

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

इस आरोप में यह मानना हैं कि भौतिक सत्यापन में वास्तविक स्टॉक में 415 किलोग्राम गेहूं कम पाये गये हैं। इस सम्बन्ध में पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं हैं जिससे गेहूं का तोल जोक किसी प्रकार से करवाया जाना प्रकट करता हो। संलग्न फर्द मौका में भी इस प्रकार के इन्द्राज नहीं हैं। जांच के समय यह माना गया हैं कि स्टॉक रजिस्टर पूर्ण संधारित हैं। अपीलांट द्वारा अन्य उचित मूल्य दुकानदार को चार्ज हस्तानान्तरण किया गया उस समय स्टॉक अनुसार गेहूं सम्पूर्ण प्राप्त किये गये हैं अंकित हैं। इसलिए यह आरोप पूर्ण साबित नहीं माना जा सकता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट(मूल प्रकरण के गैर सायल) के विरूद्ध गबन जैसा कोई आरोप प्रमाणित नहीं हैं,इसलिए उनका प्राधिकार–पत्र निरस्त जैसी कठोर कार्यवाही की जाकर उन्हें दण्डित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपीलांट(मूल प्रकरण के गैर सायल) द्वारा जमा प्रतिभूति राशि में से 500/–रूपये की प्रतिभूति राशि राजहक में जब्त की जाती हैं तथा अपीलांट श्री राकेश गुर्जर को उचित मूल्य दुकानदार झाड़ेली पोस कोर्ड संख्या 9185 को जारी प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.06.2025 को अपास्त किया जाता हैं। अपीलांट डीलर को भविष्य में प्राधिकार पत्र की शर्तों एवं विभागीय नियमों की कठोरता से पालना करने की चेतावनी दी जाती हैं एवं उक्त चेतावनी के साथ अपीलांट(गैर सायल डीलर) के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। अपीलांट(गैर सायल) को आदेशित किया जाता हैं कि प्रतिभूति राशि पूर्ण राजकोष में जमा करवा कर अधीनस्थ न्यायालय में चालान की प्रति पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड पत्रावली पुनः निर्णय की प्रति सहित लौटाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनायागया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर

कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)